कुँडुख़ भाषा की तोलोंग सिकि का विकास एवं उराँव समाज

(परिचय) :–

मैंने बचपन से ही अपने नाना–नानी के घर में रह कर पढ़ाई की है। वहां रहते हुए गांव में रिस्तदारों में से जितने भी नाना–नानी थे, वे मुझसे कुँड़ुख भाषा में ही बात किया करते थे। स्कूली शिक्षा में पहली बार, चौथी कक्षा में सभी विषय के अलावे उराँव (कुँड़ुख) भाषा विषय भी पढ़ने का मौका मिला। ऐसा अवसर पाकर मैं उत्साहित हो उठा। उन्हीं दिनों मेरे मामा जी मुझे कुँड़ुख भाषा एवं तोलोंग सिकि की एक प्राथमिक पुस्तक की बातों को समझाये और कुँड़ुख भाषा विषय पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किये। उसी समय से मेरी अभिरूची अपने मातृभाषा कुँड़ुख के प्रति बढ़ने लगी। उसी समय से मैं तोलोङ सिकि सिखने लगा और पढ़ाई जारी रखा। मैट्रीक, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होने के बाद महसूस हुआ कि झारखण्ड में अनेक प्रकार की जातियों की संस्कृति एवं भाषाएँ हैं। लेकिन राँची विश्वविद्यालय में पाँच ही जनजातीय भाषा की पढ़ाई होती है। कुँड़ुख भाषा को झारखण्ड के अलावा छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, ओड़िसा, दिल्ली, अंडमान–निकोबार तथा देश के बाहर नेपाल, भूटान, बंगलादेश तथा म्यांमर में भी बोली जाती हैं। देश की आजादी से पूर्व रोमन लिपि में तथा आजादी के बाद देवनागरी लिपि में कुँड़ुख भाषा संबंधी साहित्य रचना करने वाले कई साहित्यकार उभरे और अपनी रचनाओं को लोगों तक पहुंचाया।

इस तरह कुँड़ुख भाषा साहित्य को अपने ही लेखन शैली में लिखने तथा पढ़ने के लिए झारखण्ड के गुमला जिला सिसई प्रखण्ड सैन्दा गाँव के पेशे से चिकित्सक डॉ॰ नारायण उराँव 'सैन्दा' ने तोलोंग सिकि लिपि को स्थापित कराने में अग्रणी भूमिका निभायी। कहा जाता है – "भाषा, संस्कृति का वाहक है तथा संस्कृति भाषा का पोषक" यथा संस्कृति को बचाने के लिए भाषा को बचाना जरूरी है। इस प्रकार भाषा ही वह मूल स्तंभ है जिसके माध्यम से जनजातीय परम्पारिक सांस्कृतिक धरोहर एवं बौद्धिक सम्पदा को संरक्षित एवं सुरक्षित रखा जा सकता है। जनजातीय समाज द्वारा अपनी भाषा–संस्कृति को बचाने के लिए और अधिक प्रयास होंगे जिनसे हम सभी अपने इन धरोहरों एवं विरासत को आने वाली पीढ़ी तक संजोकर पहुंचा पाएँ। इसके लिए इन धरोहरों को वर्तमान शिक्षा पद्धति में शामिल करना पड़ेगा और इन साधनों को स्कूली पाठ्यक्रमों में जोड़ना पड़ेगा तथा उसे अपने दैनिक जीवन के साथ जोड़ना होगा, तभी नई पीढ़ी इस ओर आगे बढ़ेगी।

सरकारी अधिसूचना और तोलोंग सिकि :–

तोलोंग सिकि (लिपि) को कुँडुख़ (उराँव) समाज ने कुँडुख़ भाषा की लिपि के रूप में स्वीकार किया है तथा झारखण्ड सरकार द्वारा भी इसे कुँडुख़ भाषा की लिपि के रूप में स्वीकार किया गया है। इस विषय पर कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के पत्रांक 129 दिनांक 18.09.2003 द्वारा कुँडुख़ (उराँव) भाषा की लिपि के रूप में अंगीकार करते हुए संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किये जाने हेतु अनुशंसित किया गया है। साथ ही झारखण्ड अधिविद्य परिषद् राँची के विज्ञप्ति संख्या 17/2009 JAC/20.02.2009 द्वारा 2009 सत्र में सर्वप्रथम कुँडुख़ कत्थ खोंड़हा लूरएड़पा लूरडिप्पा भगीटोली गुमला के छात्रों को मैट्रिक परीक्षा में कुँडुख़ भाषा विषय परीक्षा तोलोङ सिकि में लिखने की अनुमति दी गयी। उसके बाद झारखण्ड अधिविद्य परिषद् राँची के अधिसूचना संख्या – JAC/गुमला/ 16095/12–0607/16 दिनांक 12.02.2016 द्वारा वर्ष 2016 से मैट्रिक में कुँडुख़ भाषा पत्र की परीक्षा तोलोङ सिकि (लिपि) में परीक्षा लिखने की अनुमति प्राप्त हुई तथा राँची विश्वविद्यालय राँची के अधिसूचना संख्या – B/1236/16 दिनांक 26.09.2016 द्वारा जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के विभागाध्यक्ष के देखरेख में एक विशेष सेल का गठन हुआ है जो संताली भाषा की लिपि – ओल चिकि, हो भाषा की लिपि – वराङ चिति तथा कुँडुख़ (उराँव) भाषा की लिपि – तोलोङ सिकि में पाठ्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करेगी। इस लिपि से पश्चिम बंगाल में भी वर्ष 2018 से सरकार द्वारा कुँडुख़ साहित्य प्रकाशित किया जा रहा है।

सरकारी अधिसूचना और तोलोंग सिकि :-

(i). मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची द्वारा जारी वर्ष 2003 की अधिसूचना

झारखंड माध्यमिक परीक्षा परिषद
रांची

वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2002 की परीक्षा पद्धति
में परिवर्तन संबंधी अति आवश्यक सूचना

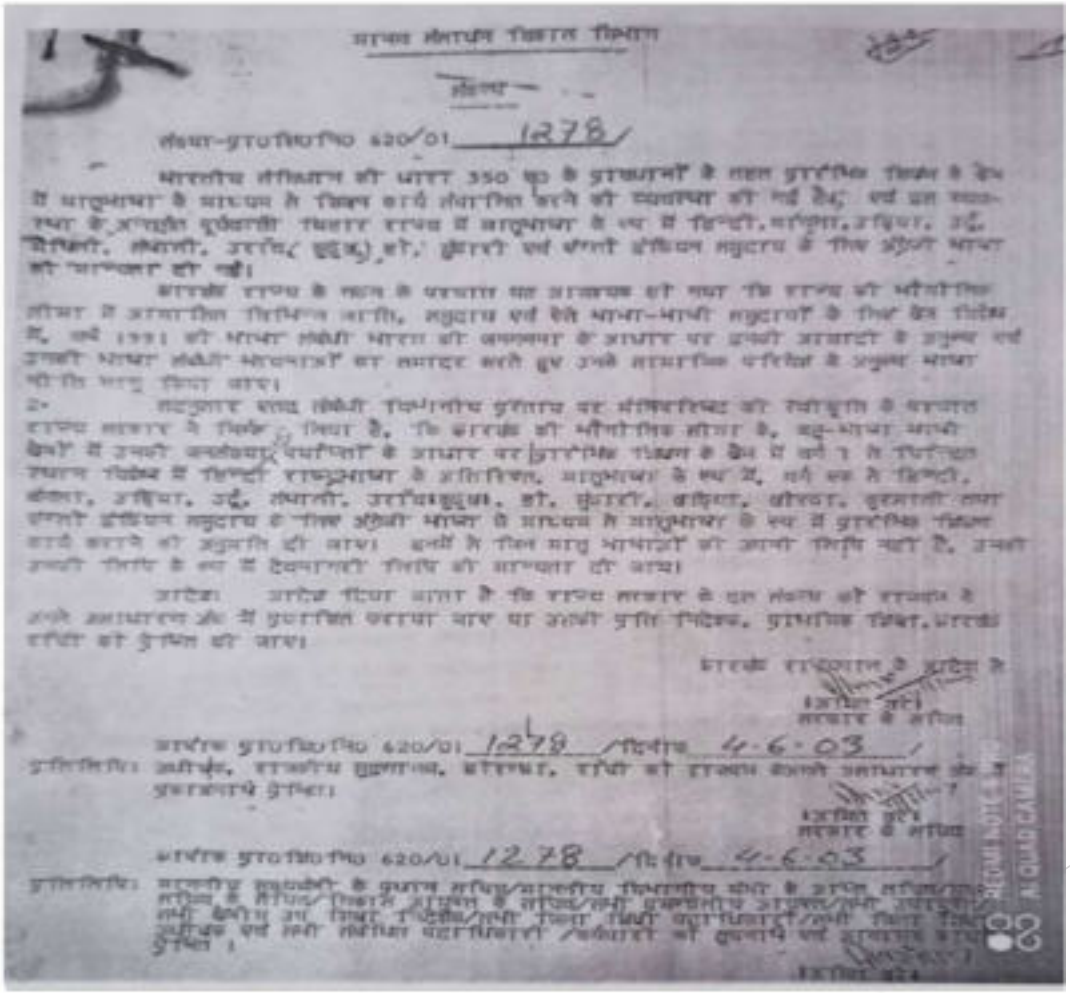

सरकारी अधिसूचना और तोलोंग सिकि :–

.(ii). मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची द्वारा जारी वर्ष 2003 की अधिसूचना

सरकारी अधिसूचना और तोलोंग सिकि :–

(iii). झारखण्ड सरकार द्वारा विभागीय पत्रांक 129 दिनांक 18.9.2003 द्वारा कुँड़ुख भाषा की लिपि के रूप में तोलोंग सिकि को स्वीकृति प्रदान किया गया तथा इसे *संविधान की आठवीं अनुसूची* में शामिल किये जाने हेतु गृह मंत्रालय, केन्द्र सरकार, नई दिल्ली को अनुशंसा पत्र प्रेषित किया गया है।

मुख्तार सिंह, भा० प्र० से०
Mukhtar Singh, I.A.S.
आयुक्त एवं सचिव
Commissioner and Secretary

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची
Department of Personnel, Administrative Reforms & Rajbhasha, Government Jharkhand, Ranchi.

पत्रांक 129, दिनांक 18-9-2003

सरकारी अधिसूचना और तोलोंग सिकि :–

(iv). झारखण्ड अधिविद्य परिषद, रांची द्वारा विज्ञप्ति संख्या 17/2009 दिनांक 19.02.2009 द्वारा मैट्रिक में एक विद्यालय के लिए कुँड़ुख भाषा विषय की परीक्षा तोलोंग सिकि लिपि से परीक्षा लिखने की अनुमति दी गई।

प्रभात खबर

शुक्रवार, 20 फरवरी, 2009

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2009 के कुड़ुख भाषा पत्र के संबंध में आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 17/2009

एतद् द्वारा सभी छात्रों, उनके अभिभावकों संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, के पत्रांक 6/नि–1–12/2002–565 दिनांक 18.02.2009 द्वारा स्थापना अनुमति प्राप्त उच्च विद्यालय **"कुड़ुख कथा खोड़हा लुर एड़पा भागी टोली"** डुमरी गुमला के 39 (उनचालीस) छात्रों को वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2009 के कुड़ुख (उराँव) भाषा पत्र को अपनी लिपि **"तोलोंग सिकी"** से परीक्षा लिखने की अनुमति प्रदान की गई है।

अध्यक्ष के आदेशानुसार
ह./-
(पोलिकार्प तिर्की)
सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची।

JAC/SECY/078/09 Dt. 19.02.09
D.O.P : 20.02.09

सरकारी अधिसूचना और तोलोंग सिकि :–

(v). झारखण्ड सरकार द्वारा 25 नवम्बर 2011 को अधिसूचना जारी कर राज्य के 12 भाषाओं को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया है।

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

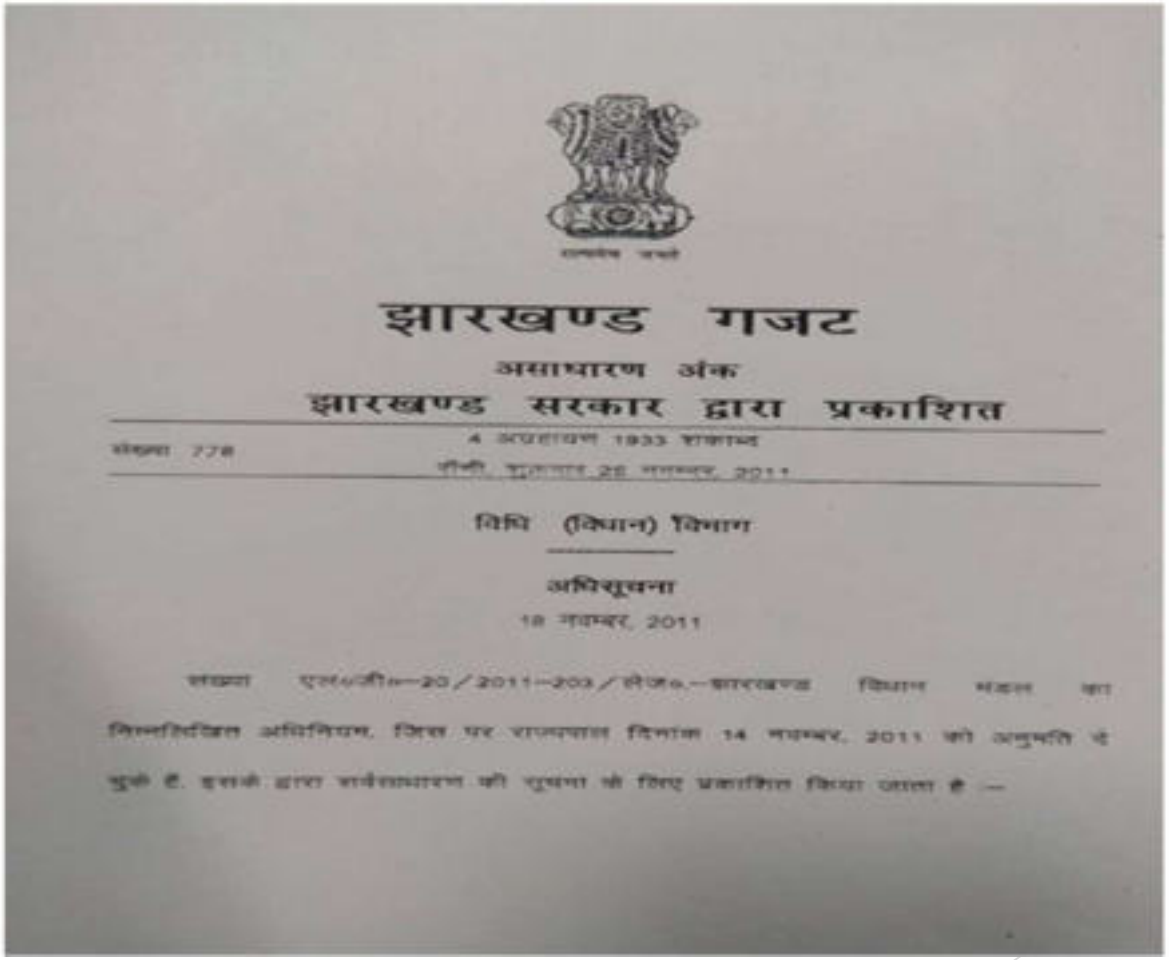

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

4 अग्रहायण 1933 शकाब्द

संख्या 778

राँची, शुक्रवार 25 नवम्बर, 2011

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

18 नवम्बर, 2011

संख्या एल०जी०–20/2011–203/लेज०–झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनांक 14 नवम्बर, 2011 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :–

सरकारी अधिसूचना और तोलोंग सिकि :–

[झारखण्ड अधिनियम संख्या 29, 2011]

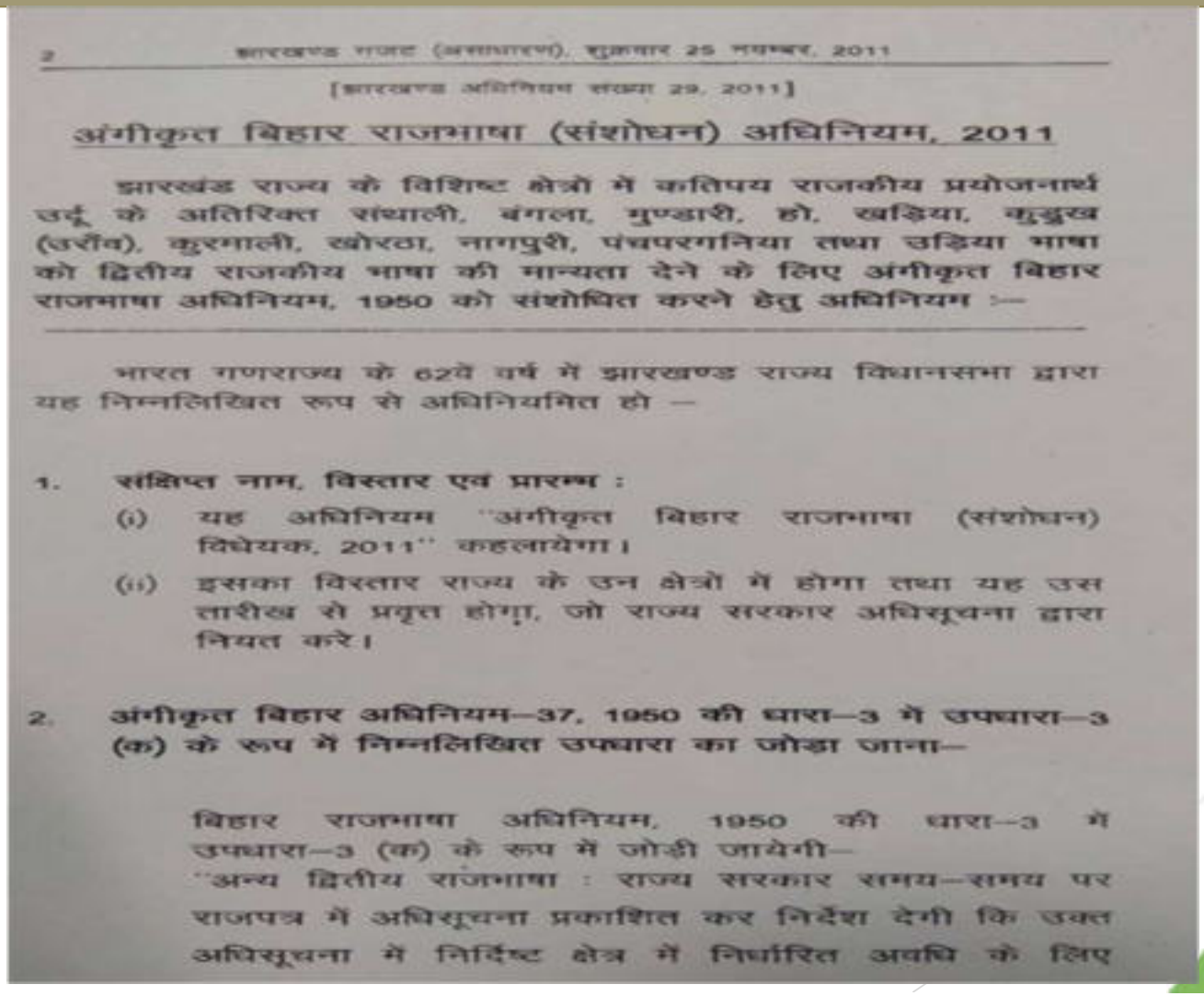

अंगीकृत बिहार राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 2011

झारखंड राज्य के विशिष्ट क्षेत्रों में कतिपय राजकीय प्रयोजनार्थ उर्दू के अतिरिक्त संथाली, बंगला, मुण्डारी, हो, खड़िया, कुड़ुख (उराँव), कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया तथा उड़िया भाषा को द्वितीय राजकीय भाषा की मान्यता देने के लिए अंगीकृत बिहार राजभाषा अधिनियम, 1950 को संशोधित करने हेतु अधिनियम :–

भारत गणराज्य के 62वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा यह निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो –

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :**
   (i) यह अधिनियम "अंगीकृत बिहार राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 2011" कहलायेगा।
   (ii) इसका विस्तार राज्य के उन क्षेत्रों में होगा तथा यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. **अंगीकृत बिहार अधिनियम–37, 1950 की धारा–3 में उपधारा–3 (क) के रूप में निम्नलिखित उपधारा का जोड़ा जाना–**

   बिहार राजभाषा अधिनियम, 1950 की धारा–3 में उपधारा–3 (क) के रूप में जोड़ी जायेगी–
   "अन्य द्वितीय राजभाषा : राज्य सरकार समय–समय पर राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर निर्देश देगी कि उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट क्षेत्र में निर्धारित अवधि के लिए

सरकारी अधिसूचना और तोलोंग सिकि :–

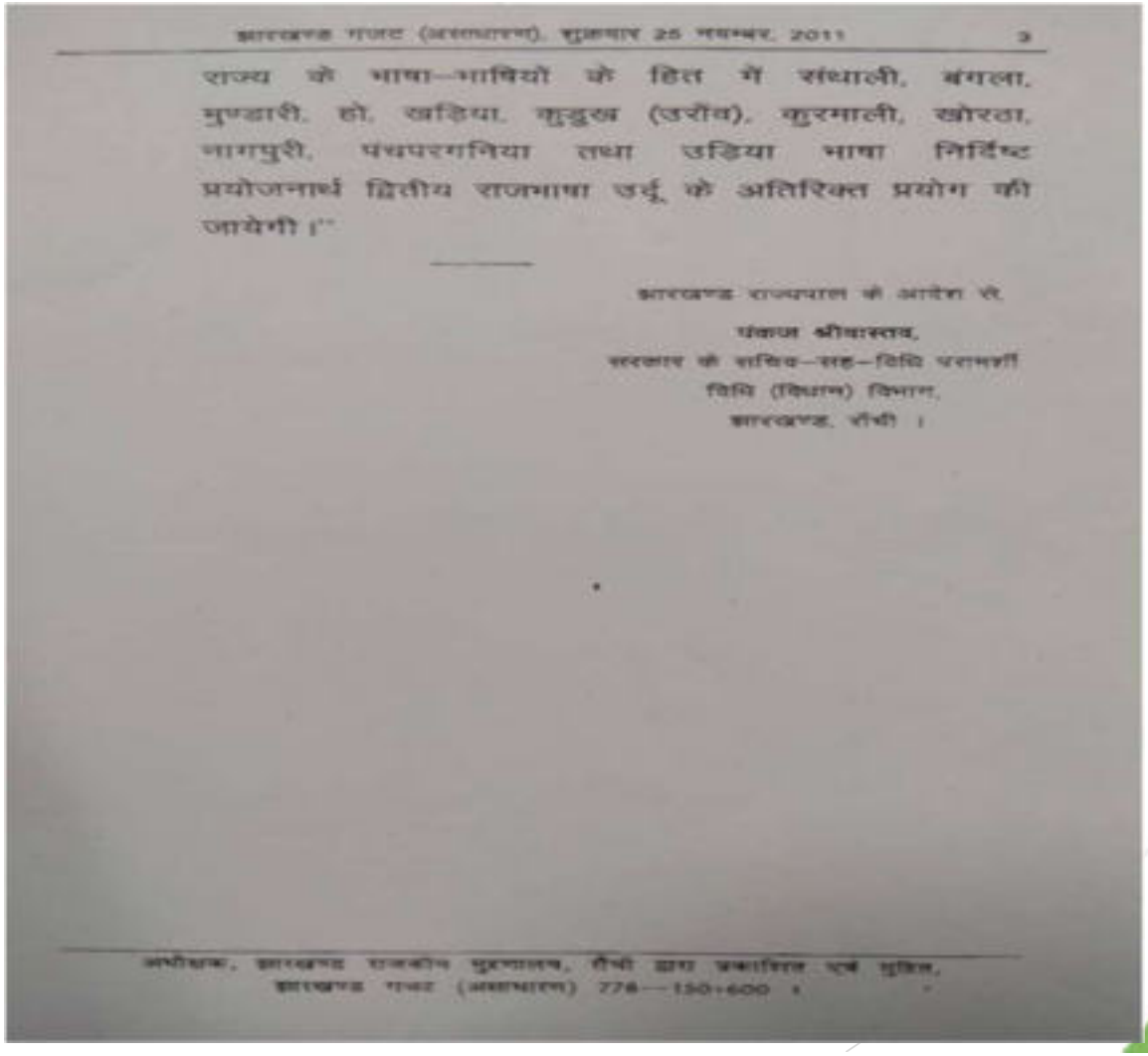

राज्य के भाषा–भाषियों के हित में संथाली, बंगला, मुण्डारी, हो, खड़िया, कुड़ुख (उराँव), कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया तथा उड़िया भाषा निर्दिष्ट प्रयोजनार्थ द्वितीय राजभाषा उर्दू के अतिरिक्त प्रयोग की जायेगी।"

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
पंकज श्रीवास्तव,
सरकार के सचिव–सह–विधि परामर्शी
विधि (विधान) विभाग,
झारखण्ड, राँची।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 774—150+600।

सरकारी अधिसूचना और तोलोंग सिकि :–

(vi). झारखण्ड अधिविद्य परिषद, रांची के अधिसूचना संख्या संख्या – JAC / गुमला / 16095 / 12– 0607 / 16 दिनांक 12.02.2016 द्वारा मैट्रिक में वर्ष 2016 से कुँड़ुख भाषा विषय की परीक्षा तोलोंग सिकि लिपि से परीक्षा लिखने की अनुमति दी गई।

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

अधिसूचना

संख्या – JAC/गुमला/16095/12 ..../ झारखण्ड अधिविद्य परिषद् की बैठक संख्या 73 दिनांक 23.01.2016 में लिए गए निर्णय के आलोक में कुँड़ुख भाषा की परीक्षा तोलोंग सिकी लिपि में लिखने की अनुमति वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2016 से प्रदान की जाती है।

तोलोंग सिकी लिपि में लिखने वाले परीक्षार्थी अपनी उत्तरपुस्तिका में लिपि संबंधी कॉलम में "तोलोंग सिकी" अवश्य लिखेंगे।

अध्यक्ष के आदेश से,

सचिव
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

ज्ञापांक : JAC/गुमला/16095/12-0607/16 / राँची, दिनांक : 12/02/16

प्रतिलिपि : अध्यक्ष के निजी सहायक / उपाध्यक्ष के निजी सहायक / सचिव के निजी सहायक / संयुक्त सचिव के निजी सहायक / उपसचिव के निजी सहायक / गठित समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

ज्ञापांक : JAC/गुमला/16095/12-0607/16 / राँची, दिनांक : 12/02/16

प्रतिलिपि : सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड / निदेशक (मा० शि०)" को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

सचिव
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

[illegible] सरकारी अधिसूचना और तोलोंग सिकि :–

(vii). प०बंगाल सरकार, विधि विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या 452L, दिनांक 05 अप्रैल 2018 दिन बृहस्पतिवार को अधिसूचना जारी कर कुँड़ुख भाषा को 8वीं राजकीय भाषा घोषित किया गया है।

Registered No. WB/SC-247

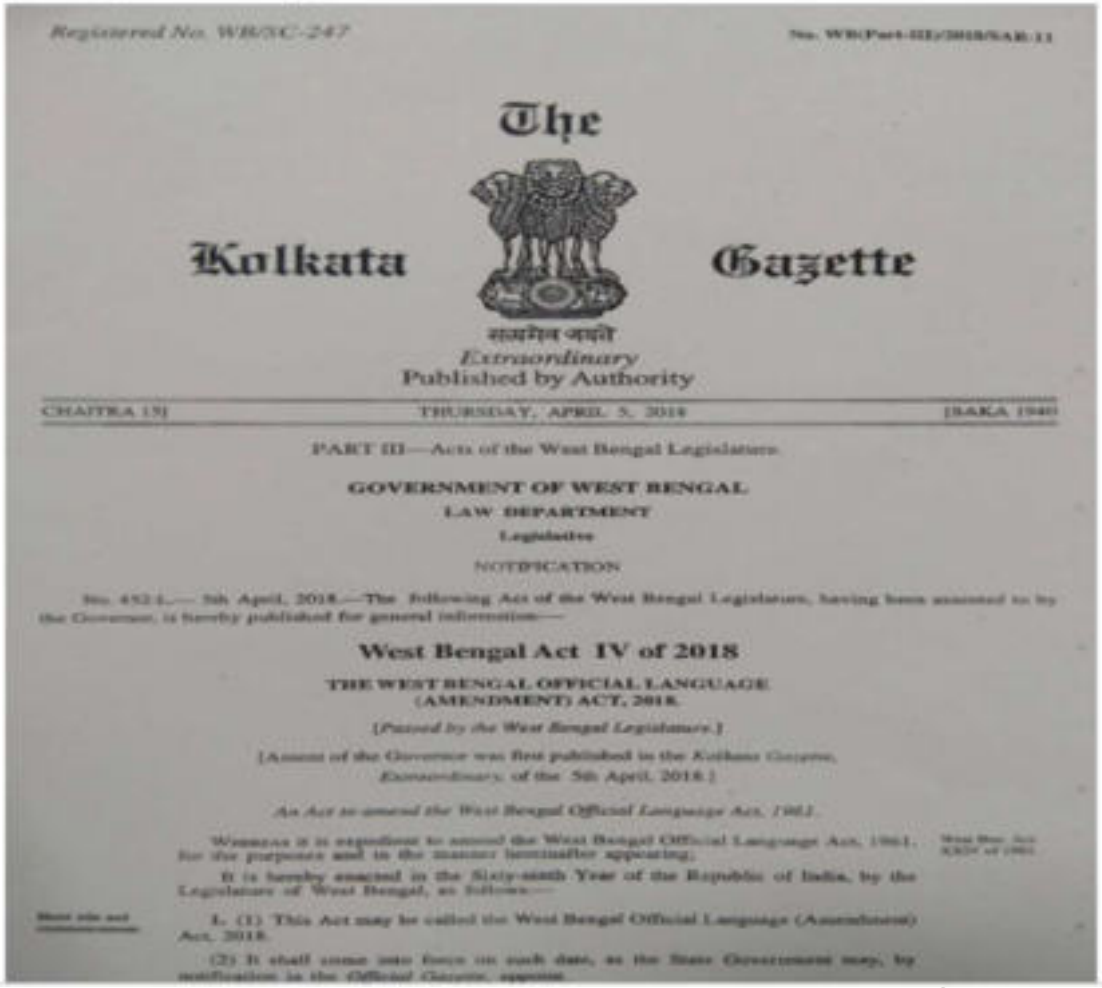

No. WB(Part-III)/2018/SAR-11

The
Kolkata Gazette

सत्यमेव जयते

Extraordinary
Published by Authority

CHAITRA 15] THURSDAY, APRIL 5, 2018 [SAKA 1940

PART III—Acts of the West Bengal Legislature

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
LAW DEPARTMENT
Legislative

NOTIFICATION

No. 452-L.— 5th April, 2018.—The following Act of the West Bengal Legislature, having been assented to by the Governor, is hereby published for general information:—

West Bengal Act IV of 2018

THE WEST BENGAL OFFICIAL LANGUAGE (AMENDMENT) ACT, 2018.

[*Passed by the West Bengal Legislature.*]

[Assent of the Governor was first published in the *Kolkata Gazette, Extraordinary*, of the 5th April, 2018.]

An Act to amend the West Bengal Official Language Act, 1961.

Whereas it is expedient to amend the West Bengal Official Language Act, 1961, for the purposes and in the manner hereinafter appearing;

It is hereby enacted in the Sixty-ninth Year of the Republic of India, by the Legislature of West Bengal, as follows:—

1. (1) This Act may be called the West Bengal Official Language (Amendment) Act, 2018.

(2) It shall come into force on such date, as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

सरकारी अधिसूचना और तोलोंग सिकि :–

2 THE KOLKATA GAZETTE, EXTRAORDINARY, APRIL 5, 2018 [PART III

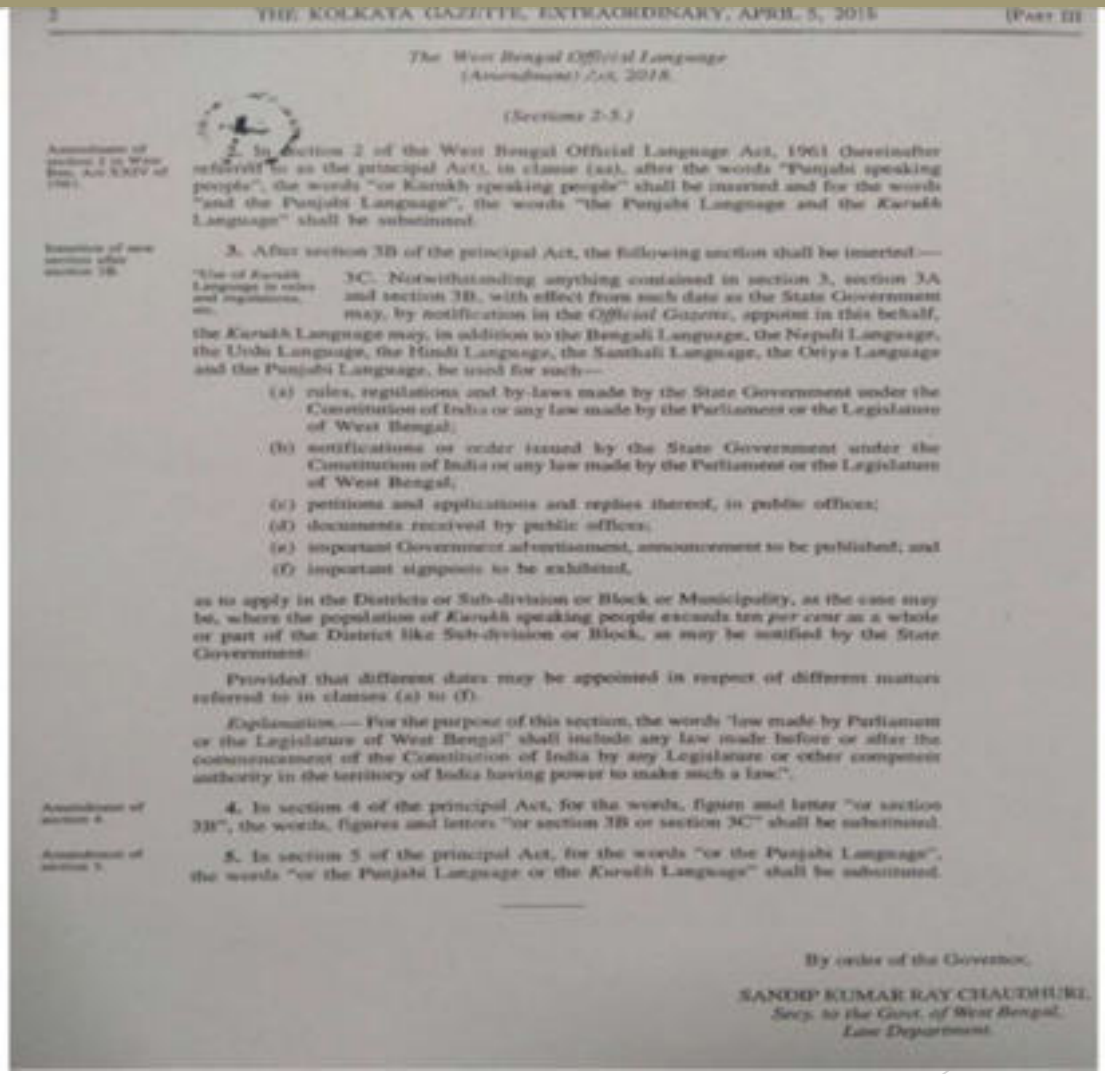

The West Bengal Official Language (Amendment) Act, 2018.

(Sections 2-5.)

2. In section 2 of the West Bengal Official Language Act, 1961 (hereinafter referred to as the principal Act), in clause (aa), after the words "Punjabi speaking people", the words "or *Kurukh* speaking people" shall be inserted and for the words "and the Punjabi Language", the words "the Punjabi Language and the *Kurukh* Language" shall be substituted.

3. After section 3B of the principal Act, the following section shall be inserted:—

"3C. Notwithstanding anything contained in section 3, section 3A and section 3B, with effect from such date as the State Government may, by notification in the *Official Gazette*, appoint in this behalf, the *Kurukh* Language may, in addition to the Bengali Language, the Nepali Language, the Urdu Language, the Hindi Language, the Santhali Language, the Oriya Language and the Punjabi Language, be used for such—

(a) rules, regulations and by-laws made by the State Government under the Constitution of India or any law made by the Parliament or the Legislature of West Bengal;

(b) notifications or order issued by the State Government under the Constitution of India or any law made by the Parliament or the Legislature of West Bengal;

(c) petitions and applications and replies thereof, in public offices;

(d) documents received by public offices;

(e) important Government advertisement, announcement to be published; and

(f) important signposts to be exhibited,

as to apply in the Districts or Sub-division or Block or Municipality, as the case may be, where the population of *Kurukh* speaking people exceeds ten *per cent* as a whole or part of the District like Sub-division or Block, as may be notified by the State Government:

Provided that different dates may be appointed in respect of different matters referred to in clauses (a) to (f).

Explanation.—For the purpose of this section, the words "law made by Parliament or the Legislature of West Bengal" shall include any law made before or after the commencement of the Constitution of India by any Legislature or other competent authority in the territory of India having power to make such a law.".

4. In section 4 of the principal Act, for the words, figure and letter "or section 3B", the words, figures and letters "or section 3B or section 3C" shall be substituted.

5. In section 5 of the principal Act, for the words "or the Punjabi Language", the words "or the Punjabi Language or the *Kurukh* Language" shall be substituted.

By order of the Governor,

SANDIP KUMAR RAY CHAUDHURI,
Secy. to the Govt. of West Bengal,
Law Department.

सरकारी अधिसूचना और तोलोंग सिकि :–

(viii). झारखण्ड सरकार, विधि विभाग की अधिसूचना के अधिसूचना संख्या – 1080, राँची, सोमवार, 10 दिसम्बर 2018 झारखण्ड की 17 भाषाओं को राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया।

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 अग्रहायण, 1940 (श॰)

संख्या- 1084 राँची, सोमवार, 10 दिसम्बर, 2018 (ई॰)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

29 अक्टूबर, 2018

संख्या-एल॰जी॰-06/2018-175/लेज॰--झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर माननीया राज्यपाल दिनांक 5 अक्टूबर, 2018 को अनुमति दे चुकी है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

बिहार राजभाषा (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2018

(झारखण्ड अधिनियम, 20, 2018)

झारखंड राज्य के विशिष्ट क्षेत्रों में कतिपय राजकीय प्रयोजनार्थ उर्दू, संथाली, बंगला, मुण्डारी, हो, खड़िया, कुड़ुख (उराँव), कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया तथा उड़िया भाषा के अतिरिक्त मगही, भोजपुरी, मैथिली तथा अंगिका एवं भूमिज भाषा को द्वितीय राजभाषा की मान्यता देने के लिये अंगीकृत बिहार राजभाषा अधिनियम, 1950 को संशोधित करने हेतु अधिनियम।

सरकारी अधिसूचना और तोलोंग सिकि :-

2

झारखण्ड गजट (असाधारण) सोमवार, 10 दिसम्बर, 2018

विषय-सूची

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

2. बिहार अधिनियम-37, 1950 (यथा अंगीकृत) की धारा-3 की उपधारा-3(क) में अन्य द्वितीय राजभाषाओं की सूची में मगही, भोजपुरी, मैथिली तथा अंगिका एवं भूमिज को जोड़ा जाना

भारत राज्य के 69वें वर्ष में झारखंड राज्य विधान सभा द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ:

(1) यह अधिनियम बिहार राजभाषा (झारखंड संशोधन) अधिनियम, 2018 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार राज्य के उन क्षेत्रों में होगा तथा यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निश्चित करे।

2. बिहार अधिनियम-37, 1950 (यथा अंगीकृत) की धारा-3 की उपधारा-3(क) में अन्य द्वितीय राजभाषाओं की सूची में मगही, भोजपुरी, मैथिली तथा अंगिका एवं भूमिज भाषा को जोड़ा जाना है-

बिहार राजभाषा अधिनियम, 1950 (यथा अंगीकृत) की धारा-3 की उपधारा-3(क) निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित की जायेगी-

"अन्य द्वितीय राजभाषा: राज्य सरकार समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर निर्देश देगी कि उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट क्षेत्रों में निर्धारित अवधि के लिये राज्य के भाषा-भाषियों के हित में मगही, भोजपुरी, मैथिली तथा अंगिका एवं भूमिज भाषा निर्दिष्ट प्रयोजनार्थ द्वितीय राजभाषा उर्दू, संथाली, मुण्डारी, हो, खड़िया, कुड़ुख (उराँव), कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, बंगला, उड़िया के अतिरिक्त प्रयोग की जायेगी।"

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

संजय प्रसाद,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 1084 -- 50

सरकारी अधिसूचना और तोलोंग सिकि :–

(ix). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार झारखण्ड सरकार, शिक्षा विभाग द्वारा मातृभाषा शिक्षा के अंतर्गत हिन्दी एवं अंगरेजी के साथ पांच आदिवासी भाषा में से कुँड़ुख, मुंडारी, हो, खड़िया, संताली है।

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्

An ISO 9001:2015 certified

पत्रांक : QE/08/147/2021/1100 दिनांक — 30/09/2021

सेवा में,

जिला शिक्षा पदाधिकारी—सह—जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
जिला शिक्षा अधीक्षक—सह—अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, साहेबगंज, सिमडेगा, लोहरदगा एवं खूँटी,
समग्र शिक्षा अभियान, झारखण्ड।

विषय : MTB MLE हेतु कार्ययोजना निर्माण के संबंध में।

महाशय / महाशया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि NEP 2020 में Mother tongue based Multilingual Education को प्रारंभिक कक्षाओं में प्राथमिकता के स्तर पर लागू करने का सुझाव दिया गया है।

सरकारी अधिसूचना और तोलोंग सिकि :–

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्
जे.एस.सी.ए. स्टेडियम रोड, सेक्टर-3,
धुर्वा, राँची – 834 004
दूरभाष – 0651-2444301, 2444502, फैक्स – 2444506
ई-मेल : jepcranchi@gmail.com

An ISO 9001:2015 certified
किरण कुमारी पासी, भा.प्र.से.
राज्य परियोजना निदेशक

7. समुदाय के साथ बैठक में इस बात का ध्यान रखा जाये की समुदाय मातृभाषा की महत्ता को समझते हुये मातृभाषा को पठन–पाठन में प्रथम माध्यम के रूप में अपनाने पर अपनी सहमति/मांग व्यक्त करें।
8. पत्र के साथ विद्यालयों की सूची संलग्न है परन्तु समिति इसमें आवश्यकतानुसार संशोधन कर सकती है।
9. चयनित विद्यालयों के पोषक क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार बैठक का आयोजन दिनांक 25 अक्टूबर, 2021 तक पूर्ण की जाये।
10. बैठक के पश्चात् समिति द्वारा अंतिम रूप से विद्यालयों की सूची तैयार की जाएगी तथा विद्यालयवार मातृभाषा को प्रथम भाषा के रूप में लागू करने संबंधी कार्ययोजना का निर्माण करेगी। कार्ययोजना का समेकित प्रतिवेदन राज्य परियोजना कार्यालय को दिनांक 30 अक्टूबर, 2021 तक प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

यूनिसेफ एवं जे.सी.ई.आर.टी. के प्रतिनिधियों की विवरणी

क्र.सं.	नाम	आवंटित जिला	मो०नं०
1	श्रीमती पल्लवी शाह, यूनिसेफ	पश्चिमी सिंहभूम	9905150518
2	श्री हर्ष वर्मा, यूनिसेफ	गुमला	7368064065
3	श्री रोहित राज, यूनिसेफ	साहेबगंज	9065930999
4	श्री संजीव तिवारी, यूनिसेफ	सिमडेगा	9199098743
5	श्री अशोक कुमार, जे.सी.ई.आर.टी.	लोहरदगा	7463053246
6	श्री संगीता कुमारी, जे.सी.ई.आर.टी.	खूँटी	8969149198

अनुलग्नक – यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(किरण कुमारी पासी)
राज्य परियोजना निदेशक

ज्ञापांक : QE/48/147/2021/ 1800 राँची, दिनांक : 30/09/2021

प्रतिलिपि :

1. संबंधित प्रतिनिधि, जे.सी.ई.आर.टी., राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
2. श्रीमती पारुल शर्मा, शिक्षा विशेषज्ञ/संबंधित पदाधिकारी, यूनिसेफ, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

(किरण कुमारी पासी)
राज्य परियोजना निदेशक

A. झारखण्ड अलग प्रांत आंदोलन और कुँड़ुख़ भाषा की लिपि की अवधारना :–

1. (कुँडुख़ भाषा) :–

कुँडुख़ भाषा एक उतरी द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। लिंगविस्टक सर्वे ऑफ इंडिया 2011 के रिपोर्ट के अनुसार भारत देश में कुँडुख़ भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या 1988350 है। पर कुँडुख भाषी उराँव लोग अपनी जनसंख्या के बारे में बतलाते हैं कि पुरे विश्व में कुँडुख़ भाषी उराँव लोग 50 लाख के लगभग हैं। झारखण्ड में इस भाषा की पढ़ाई विश्वविद्यालयों में हो रही है। भारत में उराँव लोग विभिन्न राज्य तथा विदेशों में से नेपाल, भूटान बंगलादेश तथा म्यांमर आदि क्षेत्र में है।

[illegible]

2. नई लिपि के विकास की परिकल्पना :–

नई लिपि के विकास की परिकल्पना के बारे में डॉ. नारायण उरॉंव ने अपनी पुस्तक तोलोंग सिकि का उद्‌भव और विकास में कहा है कि वर्ष 1989 में अस्पताल में कार्य करते हुए उनकी नजर गर्भ–निरोधक गोली माला डी की पर्ची एवं 100 रूपये के नोट पर पड़ी। उसमें सभी सिडियूल लैंगवेज में एक ही बात को अलग–अलग तरीके से लिखा हुआ था। इसे देखकर उनके मन–मस्तिष्क में अपनी भाषा को लिखित रूप दिये जाने की परिकल्पना बलवती हुई। इसी दौरान उनके द्वारा लिखित छोटी सी पुस्तिका ''सरना समाज और उसका अस्तित्व'' वर्ष 1989 में छपी और झारखण्ड के आन्दोलनकारियों तक पहुँची। इस पुस्तिका में उद्धृत तथ्यों पर गौर करते हुए आन्दोलनकारी छात्र नेता एवं ऑल झारखण्ड स्टूडेन्टस यूनियन (आजसू) के तत्कालीन अध्यक्ष श्री विनोद कुमार भगत ने कहा – आप डॉक्टर बनकर समाज और देश की सेवा कीजिएगा साथ ही अपने परिवार का भी सेवा कीजिएगा। पर आदिवासी समाज की सेवा कौन करेगा ? हम आन्दोलनकारी, आन्दोलन में हैं समाज के सामने कई ज्वलंत प्रश्न है, जिसका उत्तर हम आन्दोलनकारियों के पास नहीं है। आदिवासी समाज को भाषा–संस्कृति के बचाव के लिए एक आधुनिक गुणों वाली लिपि की आवश्यकता है। समाज के लोगों को इसपर कार्य करना पड़ेगा।

2. नई लिपि के विकास की परिकल्पना :–

इसी क्रम में 90 दशक के आरंभ में श्री विनोद कुमार भगत ने कहा – अगर कल को झारखण्ड राज्य मिलता है तो पूरी व्यवस्था वही रहेगी जो बिहार में है। अर्थात मंत्री से लेकर संतरी तक, ब्यूरोक्रेट से लेकर टेकनोक्रेट तक, सभी व्यवस्था पूर्वत होगी। तब आदिवासी समाज को क्या मिलेगा जो इस आन्दोलन में शामिल हैं ? पढ़े–लिखे लोग तो कहीं भी नौकरी या व्यापार कर लेंगे, पर गांव के लोगों को या अनपढ़ लोगों को क्या मिलेगा ? इस प्रश्न के उत्तर में श्री भगत ने ही कहा कि – आदिवासी समाज के पास उनकी अपनी भाषा है, संस्कृति है, अपना रीति–रिवाज है। यदि हम इन धरोहरों को नहीं बचा पाये तो हमलोगों का यह आन्दोलन बेकार है। संस्कृति को बचाने के लिए भाषा को बचाना होगा और भाषा को बचाने के लिये इन भाषाओं की पढ़ाई–लिखाई स्कूल एवं कॉलेजों में करानी होगी और इसे रोजगार से जोड़ना होगा तभी भाषा–संस्कृति बचेगी। समाज एवं साहित्य में लगाव रखने वाले लोगों को भाषा के लिए एक नई लिपि विकसित करनी चाहिए। हमारा आन्दोलन एवं हम आन्दोलनकारी आदिवासी भाषा की लिपि विकास योजना में साथ है।

[illegible]

2. नई लिपि के विकास की परिकल्पना :–

इस बातचीत के बाद डॉ॰ नारायण भी अपने साथियों के साथ लिपि विकास योजना में लग गये। नई लिपि विकासित करने हेतु कई तरीके तथा योजनाओं पर कार्य किया गया। नई लिपि को समाज तक लाने में अनेक बाधाएँ आयीं। उनमें से इन विन्दुओं पर लगातार विचार–विमर्श किया जाता रहा जैसे –

1. कलम के घुमाव की दिशा क्या हो ? बायें से दायें हो या दायें से बायें या उपर से नीचे ?
2. लिपि चिन्हों का चुनाव किस प्रकार हो ? लिपि चिन्हों के चुनाव का आधार क्या हो ?
3. वर्ण या अक्षर, **sitting** हो या **suspending** ?
4. लिपि चिन्ह **Alphabetic** (वर्णात्मक) हो या **Syllablic** (अक्षरात्मक) ?
5. अक्षर का नाम और ध्वनि मान देवनागरी की तरह एक हो या अंगरेजी तथा उर्दू की तरह अलग–अलग ? या फिर और कोई नया तरीका ?
6. संयुक्ताक्षर के लिए अलग से लिपि चिन्हक रखे जाएं या नहीं
7. लिपि चिन्हो् की संख्या कितनी हो? आदि .... आदि।

अंत में सामाजिक निर्णय के आधार पर – आदिवासी परम्परा, संस्कृति एवं ध्वनि विज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर एक वर्णमाला तैयार किया गया। वर्णमाला के लिए –

(क) सर्वप्रथम मूल ध्वनियों का संकलन किया गया।

(ख) लिपि चिन्ह हेतु अलग–अलग संकेतों का संकलन किया गया। फिर ....

(ग) हिन्दी तथा अंगरेजी समझ की तरह उससे मिलता–जुलता वर्णमाला किया गया, सर्वप्रथम 1993 ई0 में समाज के लोगों के सामने प्रदर्शनी के लिए रखा गया।

3. लिपि का आरंभिक स्वरूप :–

कई वर्षों के कड़ी मेहनत के बाद एक वर्णमाला तैयार हुआ जिसे राँची कॉलेज, राँची के सभागार में हुए करम पूर्व संध्या समारोह 1993 में प्रदर्शनी हेतु रखा गया तथा लगातार कई संशोधन के साथ जनवरी 1994 में ''कुँड़ुख़ तोलोंग सिकि अरा बक्क गढ़न'' नामक एक हस्त लिखित वर्णमाला पुस्तिका छपी। इसका लोकार्पण एवं प्रदर्शनी 18 से 24 फरवरी 1994 में हुए हिजला मेला दुमका में हुआ। इन प्रदर्शनियों में कई प्रश्न खड़े हुए और इन प्रश्नों के उत्तर ढूँढ़ने के लिए डॉ. नारायण उराँव कई भाषाविदों से मिले। इसी क्रम में वे 1996 में सेन्टरल इंस्टिच्यूट ऑफ इंडियन लैंगवेज, मैसूर (भारत सरकार) के प्रोफेसर डॉ० फ्रांसिस एक्का से पटना में मुलाकात कर उनसे दिशा निर्देश प्राप्त किये। डॉ० एक्का द्वारा सुझाव दिया गया कि डॉ. नारायण IAP के सिद्धांत पर काम करें। परन्तु विज्ञान की भाषा को समझ पाना सबके वश की बात नहीं। डॉ. नारायण जी भी भाषा विज्ञान की अवधारणाओं को पूर्ण रूप से समझे विना ही और एक पुस्तक लिखी। जिसका नाम है – ''ग्राफिक्स ऑफ तोलोंग सिकि''। इस पुस्तक का लोकार्पण 05 मई 1997 में हुआ। वहाँ मुख्य अतिथि प्रभात खबर के मुख्य संपादक श्री हरिवंश जी थे तथा मुख्य वक्ता पूर्व कुलपति डॉ० रामदयाल मुण्डा जी थे। श्री हरिवंश जी जो वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं ने कहा – सूचना प्राद्यौगिकी का आकलन है कि पूर्व में 16,000 भाषाएँ बोली जाती थीं जो घटकर 6,000 रह गई हैं। भाषा संरक्षण के लिए किया जाने वाला आज का दिन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। परन्तु इस लोकार्पण समारोह के पूर्व वक्ता में से डॉ. बी.पी. केसरी का विचार भिन्न था। उन्होंने कहा – एखन दुनियाँ चांद में पोंहईच गेलक, लकिन ई जगन आदिवासी मन कबिला–कबिला कर बात करऽथँय। आदिवासी मन के देश कर मुख्यधारा से जुड़ेक चाही। इस अवसर पर मुख्य वक्ता डॉ० मुण्डा ने कहा – आदिवासी मन के देश कर मुख्यधारा संगे जुड़के चाही, संगे–संगे आपन पुस्तैनी विरासत के बचाएक और जोगाएक ले भी काम करेक चाही। कहल जाएला कि भारत देश फूल कर गुलदस्ता हय, जेकर में सउब रकम कर फूल हय। उ गुलदस्ता में आपन गुलैची आउर गेंदा फूल कोन ठिना हय, उखे खोजेक कर परयास ई किताब में करल हय। एखन कर बेरा में आदिवासी भाषा कर विकास ले एगो आपन समाज आउर संस्कृति आधारित लिपि होवेक जरूरी हय, आउर उ लिपि भाषा विज्ञान कर सिद्धांत लेखे होवे।

असहमति एवं सुझाव :–

असहमति एवं सुझाव :– डॉ. रामदयाल मुण्डा जी "ग्राफिक्स ऑफ तोलोंग सिकि" पुस्तक की वर्णमाला क्रम से असहमत थे। इस पुस्तिका में वर्णमाला क्रम देवनागरी के सदृश था। इस क्रम पर डॉ. मुण्डा जी कथन था कि – यह जरूरी नहीं है कि आदिवासी भाषा के लिए जो लिपि निर्धारित हो वह देवनागरी के समान ही हो। आदिवासी भाषा की लिपि की वर्णमाला में आदिवासी समाज की सांस्कृतिक झलक दिखनी चाहिए और वह भाषा विज्ञान सम्मत हो।

तोलोङ सिकि (लिपि) वर्णमाला का नवीन स्वरूप –

उक्त लोकार्पण समारोह में डॉ0 मुण्डा जी के सुझाव के अनुरूप वर्णमाला निर्धारण हेतु उराँव, मुण्डा, खड़िया, हो, संताल आदि भाषा के तमाम विद्वानों की एक बैठक जून 1997 में सत्य भारती, राँची में हुई, जहाँ समाज सह सांस्कृतिक आधारवाली तथा भाषा विज्ञान के सिद्धांत पर आधारित वर्णमाला क्रम प्रस्ताव रखा गया, जिसे सर्व सहमति से उपस्थित सदस्यों ने पारित एवं स्वीकृत किया। उसके बाद कार्य आगे बढ़ने लगा और अवरोध घटता गया। फिर जनवरी 1998 में भाषाविद् डॉ0 एक्का राँची आये हुए थे। उन्होने डॉ0 रामदयाल मुण्डा डॉ0 निर्मल मिंज फादर प्रताप टोप्पो आदि को साथ लेकर डॉ0 एक्का से मिले। दो दिन विचार–विमर्श के बाद निर्णय हुआ – आदिवासी समाज को

तोलोङ सिकि (लिपि) वर्णमाला का नवीन स्वरूप –

एक नई लिपि की आवश्यकता है। नई लिपि सामाजिक एवं सांस्कृतिक आधार वाली हो तथा तकनीकि संगत (कम्पटिबल) हो। इसके बाद लिपि विकास में शिक्षाविद् भी जुड़ने लगे और 15 मई 1999 को पूर्व कुलपति डॉ0 रामदयाल मुण्डा एवं पूर्व कुलपति डॉ0 इन्दु धान द्वारा संयुक्त रूप से तोलोंग सिकि लिपि को समाज के व्यवहार के लिए लोकार्पित किया गया। उसके बाद लोग समाज द्वारा संचालित विद्यालयों में पढ़ाई–लिखाई करने लगे।

तोलोंग सिकि वर्णमाला का नवीण स्वरूप अपने तरीके का अनोखा है। इसमें स्वर वर्ण – इ ए उ ओ अ आ क्रम में सजाया गया है। इस लिपि से कुँडुख़ बोलचाल के कुल 36 स्वर ध्वनि (मूल स्वर एवं संयुक्त स्वर) को 6 मूल स्वर चिन्ह एवं 6 सहायक चिन्ह के जरीये लिखा जाता है। इसी तरह वर्णमाला का व्यंजन वर्णक्रम प् फ् ब् भ् म्/त् थ् द् ध् न्/ट् ठ् ड् ढ् ण्/च् छ् ज् झ् ञ्/ क् ख् ग् घ् ङ्/य् र् ल् व् ञ्/स् ह् ख़् ड़् ढ़् की तरह है। इनमें से कुल 35+1=36 (मूल व्यंजन 35 एवं व्यंजन अ़ 1) व्यंजन है। नवीन स्वरूप का वर्णमाला क्रम सामाजिक विज्ञान तथा भाषा विज्ञान के सिन्द्धांत पर आधारित है। (देखें वर्णमाला चार्ट)।

डॉ० भोलानाथ तिवारी की पुस्तक ''भाषा विज्ञान'' में वैज्ञानिक लिपि के गुण – (1) वैज्ञानिक लिपि को वर्णात्मक होना चाहिए, न कि अक्षरात्मक। (2) एक संकेत से एक ही ध्वनि का प्रतिनिधित्व हो तथा एक ध्वनि के लिए एक संकेत हो। (3) वर्णमाला क्रम, उच्चारण के अनुसार हो, इत्यादि में से अधिकतर गुण तोलोंग सिकि में सुस्पष्ट हैं। उराँव समाज में ये कई गुण पूर्व से है।

(तोलोङ सिकि तोːड़पाब) =
तोलोङ सिकि वर्णमाला

Tolong Siki Alphabet / तोलोङ सिकि वर्णमाला
(सरह तोड़) = स्वर वर्ण (Vowels)
इ i
ए e
उ u
ओ o
अ a
आ ā
(हरह तोड़) = व्यंजन वर्ण (Consonants)
Numerals
प p
फ ph
ब b
भ bh
म m
त t
थ th
द d
ध dh
न n
ट ṭ
ठ ṭh
ड ḍ
ढ ḍh
ण ṇ
च ch
छ chh
ज j
झ jh
ञ n̈
क k
ख kh
ग g
घ gh
ङ ṅ
य y
र r
ल l
व w
ञ ż
स s
ह h
ख x
ड़ ṛ
ढ़ ṛh
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
खद्दर गही कत्थलूर अरा कत्थ बेर्ऑखो = बच्चों का भाषा ज्ञान और भाषा विज्ञान
(पा), (बा), (मा), (ता), (दा), (ना), (का), (गा), (जा)
(पपा) = रोटी, (बबा) = पिताजी, (ममा) = Cooked rice, भात।
(पल्ल) = दाँत, (बई) = मुँह, (मेलखा) = Epiglottis, उप कण्ठ।
(ततखा) = जीभ, (दुदु) = दूध, (नरटी) = Oesophagus, ग्रासिका।
ता:का एमसा:र'ई, पल्ले बई मेलखा, होलेम चीं:ख़नर ख़द्दर।
ततख़ा, दुदहिन, नरटी तरा नतगी, होलेम उज्जनर ख़द्दर।।
(कुंडुख भाषा, संस्कृति, सामाजिक एंव प्राकृतिक अवदान तथा भाषा विज्ञान आधारित लिपि)

तोलोंग सिकि का आधार :–

तोलोंग सिकि का आधार :–

तोलोंग सिकि का आधार :—

इस लिपि का आधार पूर्वजों द्वारा संरक्षित प्रकृतिवादी सिद्धांत है। हवा का बवण्डर (बईरबण्डो) समुद्र का चक्रवात अधिकांश लताओं का चढ़ना आदि प्राकृतिक चीजें घड़ी की विपरीत दिशा में सम्पन्न होती है। प्रकृति के इन रहस्यों को आदिवासी पूर्वजों ने अपने जीवन में उतारा और जन्म से लेकर मृत्यु तक के अनुष्ठान घड़ी की विपरीत दिशा में सम्पन्न करने लगे। हल चलाना जता चलाना छिरका रोटी पकाना अभिवादन करना नृत्य करना चाःला अयंग थान का पूजा पद्धति देबी अयंग थान का पूजा विधि डण्डा कट्टना अनुष्ठान आदि क्रियाएँ घड़ी की विपरीत दिशा में सम्पन्न होती है। खगोलीय तथ्य है कि संसार में अधिक से अधिक प्राकृतिक घटनाएँ घड़ी की विपरीत दिशा में ही सम्पन्न होती है। ब्रह्मांड में पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घड़ी की विपरीत दिशा में परिक्रमा किये जाने से प्रकृति के सभी क्रिया—कलाप इससे प्रभावित होती हैं। इन प्राकृतिक क्रिया—कलापों एवं सामाजिक सह सांस्कृतिक अवदानों को आदिवासी पोशाक तोलोङ की कलाकृति से जोड़कर भाषा विज्ञान के सिद्धांत पर यह लिपि स्थापित है।

तोलोङ सिकि एक वर्णात्मक लिपि है इसलिए कुँडुख़ भाषा जो एक योगात्मक भाषा है को लिखने में उसके योगात्मक उच्चारण के अनुसार लिखा एवं पढ़ा जाता है। इसमें हलन्त का प्रयोग नहीं होता है। बोलचाल में कुँडुख़ को योगात्मक तरीके से खण्ड—ब—खण्ड उच्चरित किया जाता है। इस लिपि के अधिकतर वर्ण वर्तमान घड़ी के विपरीत दिशा (Anti clockwise direction) में व्यवस्थित है।

B. नया राज्य झारखण्ड और आदिवासी भाषा :-

1. तोलोंग सिकि (लिपि) का कम्प्यूटर फॉन्ट केलितोलोंग का विकास :–

इस कार्य में समाज के कई लोग आगे आये। वर्ष 2002 में कम्प्यूटर फॉन्ट विकसित किया जाना सचमुच बड़ी उपलब्धि है। इस कड़ी में झारखण्ड निवासी पेशे से पत्रकार श्री किसलय जी ने अपने लगन और जुनून से एक असंभव से कार्य को संभव किया और नवम्बर 2002 में प्रथम संस्करण निःशुल्क लोकार्पित किये। इसका परिष्कृमत संस्करण 2017 में लोकार्पित हुआ। यह फॉन्ट का कीबोर्ड प्लानिंग डॉ. नारायण उराँव एवं किसलय जी ने मिलकर तय किया। फिर इसे यूजर्स के व्यवहार एवं समझ पर रिभाइज किये। लिपि चिन्हों के साथ यूजर्स के सलाह पर भी ध्यान दिया गया। इस फॉन्ट का नाम kellytolong है और यह फॉन्ट kurukhtimes.com एवं tolongsiki.com पर निःशुल्क उपलब्ध है। इस संबंध में किसलय जी की जुबानी कुँड़ुख़ पत्रिका बक्कहुही अंक 6 जनवरी–मार्च 2018 पढ़ें।

2. लिपि विकास को विद्यालय से जोड़ना तथा पढ़ाई–लिखाई में शामिल करना :–

यह सबसे कठिन घड़ी थी। पर समाज के लोगों ने बढ़–चढ़ कर हिस्सा लिया और कारवाँ बढ़ता गया। कई लोग ग्रामीण स्तर पर छोटे–छोटे स्कूल चलाने लगे हैं। इनमें से एक नाम है – डॉ० जेफ्रेनियुस बखला उर्फ डॉ० एतवा उराँव जिन्होंने कुँडुख–अंगरेजी मिडियम स्कूल आरंभ किया और वर्ष 2009 में वहाँ के छात्र कुँडुख भाषा विषय की परीक्षा तोलोंग सिकि लिपि में ही लिखे। इसी तरह सिसई (गुमला) थाना क्षेत्र में 5 – 7 गाँव के लोग मिलकर एक हाई स्कूल चला रहे हैं। यहाँ वे हिन्दी अंगरेजी और कुँडुख भाषा पढ़ाया जाता है। अब इन क्षेत्रों में एक होड़ लगी हुई है कि वे अपने बच्चों को भाषायी स्कूल भेजा करेंगे। परम्पारिक पाठशाला धुमकुड़िया का पुनर्गठन किया जा रहा है। यहाँ बच्चे भाषा संस्कृति के साथ लिखना–पढ़ना भी सीखते हैं। वैसे झारखण्ड के राँची विश्वविद्यालय राँची में बी.ए. एम.ए. एवं पीएच.डी. आदिवासी भाषा विषय में किये जा रहे हैं पर तोलोंग सिकि के विकास के संदर्भ में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग अबतक खामोश है। वैसे इस लिपि के विकास में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉ. रामदयाल मुण्डा जी का योगदान अतुलनीय है। वर्तमान में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की चुप्पी चिंतणीय विषय है, पर हो सकता है वहां यू.जी.सी. के मार्ग दर्शन का इंतजार किया जा रहा हो। इधर केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 आने वाले 2022 से आरंभ करने जा रही है, जिसके तहत 1 से 5 तक मातृभाषा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा दिया जाना है। झारखण्ड सरकार ने 2022 से पांच आदिवासी भाषा (कुँडुख, मुण्डा, खड़िया, हो, संताल) में मातृभाषा शिक्षा हेतु विद्यालयों का चयन तथा प्रशिक्षण कर लिया गया है।

3. तोलोंग सिकि से संबंधित पाठकों के लिए प्रकाशित पुस्तकें :–

क) कड़लगा (कक्षा 1 के लिए) — प्रकाशक : सत्य भारती रांची।
ख) कुँड़ुख कत्थअईन अरा पिंजसोर — प्रकाशक : सत्य भारती रांची।
ग) कुँड़ुख हडस अरा सिकिजुमा — प्रकाशक : सत्य भारती रांची।
घ) पुना चन्ददो (कक्षा 1 के लिए) — झारखण्ड सरकार कल्याण विभाग।
ङ) पुना तुड़ुल (कक्षा 1 के लिए) — प्रकाशक : झारखण्ड झरोखा रांची।
च) पुना बीनको (भाग 2 / कक्षा 2 के लिए) — प्रकाशक : झारखण्ड झरोखा रांची।
छ) पुना बीनको (भाग 3 / कक्षा 3 के लिए) — प्रकाशक : झारखण्ड झरोखा रांची।
ज) पुना बीनको (भाग 4 / कक्षा 4 के लिए) — प्रकाशक : झारखण्ड झरोखा रांची।
झ) पुना बीनको (भाग 5 / कक्षा 5 के लिए) — प्रकाशक : झारखण्ड झरोखा रांची।
ञ) सेन्दरा चन्द्दो (भाग 6 / कक्षा 6 के लिए) — प्रकाशक : झारखण्ड झरोखा रांची।
ट) करम चन्द्दो (भाग 7 / कक्षा 7 के लिए) — प्रकाशक : झारखण्ड झरोखा रांची।
ठ) सोहराई चन्द्दो (भाग 8 / कक्षा 8 के लिए) — प्रकाशक : झारखण्ड झरोखा रांची।
ड) ईन्नलता कुँड़ुख कत्थअईन — प्रकाशक : झारखण्ड झरोखा रांची।
ढ) फग्गु चन्ददो (कक्षा 9 देवनागरी में) — प्रकाशक : झारखण्ड झरोखा रांची।
ण) खद्दी चन्ददो (कक्षा 10 देवनागरी में) — प्रकाशक : झारखण्ड झरोखा रांची।
त) खद्दी चन्ददो (कक्षा 10 तोलोंग सिकि में) — प्रकाशक : सत्य भारती रांची।
थ) चींचो डण्डी अरा खीरी (तोलोंग सिकि में) — प्रकाशक : नव झारखण्ड प्रकाशन, रांची।
द) तोलोंग सिकि का उद्भव एवं विकास — प्रकाशक : नव झारखण्ड प्रकाशन रांची।
ध) अखंग कोयछा — तकनीकी सहायता : टी.सी.एस.(टाटा स्टील फाउण्डेशन की ईकाई)।
न) तोलोंग सिकि कुँड़ुख कत्थपून — तकनीकी सहायता : टी.सी.एस.(टाटा स्टील फाउण्डेशन की ईकाई)।
प) कुँड़ुख कत्थअईन अरा खोसराचम्बी — तकनीकी सहायता : टी.सी.एस.(टाटा स्टील फाउण्डेशन की ईकाई)।
फ) धुमकुड़िया : आदिवासी समाज की आरंभिक सामाजिक पाठशाला (देवनागरी में) — तकनीकी सहायता :टी.सी. एस.(टाटा स्टील फाउण्डेशन की ईकाई)।
ब) परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बेलपंच्चा सामाजिक न्याय पंच (देवनागरी में) — तकनीकी सहायता :टी.सी. एस.(टाटा स्टील फाउण्डेशन की ईकाई)।

[illegible]

[illegible]

4. कुँड़ुख़ भाषा एवं तोलोंग सिकि की पढ़ाई इन विद्यालयों में हो रही है :–

क) कुँड़ुख़ कत्थ खोंड़हा लूरएड़पा लूरडिप्पा भगीटोली डुमरी गुमला।
ख) जतरा टाना भगत विद्या मंदिर बिशुनपुर गुमला।
ग) कार्तिक उरांव आदिवासी बाल विकास विद्यालय रातू रांची।
घ) कार्तिक उरांव आदिवासी कुँड़ुख़ विद्यालय मंगलो सिसई गुमला।
ङ) कार्तिक उरांव आदिवासी कुँड़ुख़ विद्यालय छारदा सिसई गुमला।
च) कार्तिक उरांव आदिवासी कुँड़ुख़ विद्यालय निजमा गुमला।
छ) बुधूबीर लूरकुड़िया मेरले किसको लोहरदगा।
ज) बीर बुधू भगत कुँड़ुख़ लूरकुड़िया सैन्दा सिसई गुमला।
झ) प्रस्तावित कुँड़ुख़ लूरकुड़िया शिवनाथपुर सिसई गुमला।
ञ) सात पड़हा कुँड़ुख़ लूरकुड़िया पलमी भंडरा लोहरदगा।
ट) कार्तिक उराँव लूरकुड़िया जोंजरो नामनगर कुड़ु लोहरदगा
ठ) जय सरना लूरकुड़िया देवाकी घाघरा गुमला।
ड) अयंग शिक्षा निकेतन गुड़गुड़जाड़ी माण्डर राँची।
ढ) जोहार विद्या विद्यालय झटनी टोली सिसई गुमला।
ण) लिटिबीर कुँड़ुख़ एकेडमी पुटो–तिलसिरी घाघरा गुमला।
त) बी.के.इंडिजिनस एकेडमी ओप्पा कुड़ु चान्हो लोहरदगा।

5. वर्तमान समय की नई लिपि को लोकप्रिय बनाने हेतु आवश्यक उपाय :–

(क) कुँडुख भाषी क्षेत्रों में 1–12 तक त्रिभाषा फॉरमुला पर कुँडुख भाषा एवं तोलोङ सिकि स्कूल पाठ्‌क्रम में शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही शिक्षकों की बहाली एवं प्रशिक्षण हो तथा पाठ्य पुस्तक छपवा कर वितरण हो। राज्य सरकार इन कार्यों में मदद करे।

(ख) विश्वविद्यालय स्तर पर कुँडुख भाषा की पढ़ाई के पाठ्‌क्रम में तोलोङ सिकि लिपि भी शामिल हो तथा अग्रेतर शोध प्रबंध हो।

(ग) मासिक पत्रिका का प्रकाशन हो तथा छोटी–छोटी डॉक्युमेंटरी फिल्में बने। राज्य सरकार इसमें मदद करे।

(घ) जल्द ही यूनिकोड विकसित हो जिससे उपयोक्ता अपनी भाषा को अपने मोबाइल में व्यवहार कर सकें। सरकार इन कार्यों को प्रोत्साहित करे।

(ङ) वेब वर्जन पर कार्य हो। इस कार्य में सरकार मदद करे। अबतक सामाजिक प्रयास से kurukhtimes.com नामक वेब पत्रिका 2 वर्ष से चलाया जा रहा है तथा tolongsiki.com नामक वेबसाइट उपयोक्ताओं के लिए उपलब्ध है।

(संदर्भ ग्रंथ) :–

संदर्भ ग्रंथ :–

1. डॉ. नारायण उराँव 'सैन्दा' – तोलोंग सिकि का उद्भव एवं विकास। (2003)
2. डॉ. भोलानाथ तिवारी – 'भाषा–विज्ञान' पुर्नमुद्रण (2018)
3. डॉ. नारायण भगत एवं डॉ. नारायण उराँव 'सैन्दा' – ईन्नलता कुँडुख कत्थअईन। (2012)
4. कुँडुख त्रैमासिक पत्रिका – बक्कहुही। (अंक 6 जनवरी–मार्च 2018)
5. वेब वर्जन पत्रिका का त्रैमासिक मुद्रित संस्करण अंक 1 एवं 2 – कुँडुख टाइम्स। (2022)
6. वेब www.tolongsiki.com
7. वेब www.kurukhtimes.com
8. वेब www.bakkhuhi.in

* शोध–संकलन – भुनेश्वर उराँव, शोधार्थी, विश्वविद्यालय कुँड़ुख़ विभाग, राँची विश्वविद्यालय राँची।

** शोध निर्देशक – डॉ॰नारायण भगत, विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय कुँड़ुख़ विभाग, राँची विश्वविद्यालय राँची।

प्रस्तुति : दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार

विषय : उराँव/कुँडुख़ भाषा की दशा एवं दिशा

दिनांक – 02 एवं 03 अक्टूबर 2024

स्थान : कुँडुख़ भाषा एवं सांस्कृतिक पुनरूतीान केन्द्र, बम्हनी, गुमला, झारखण्ड।

[illegible]

धन्यवाद !